राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(179)परि / कर / मु॰ / 95 / 10 एफ   जयपुर, दिनांक : 24.03.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की (समय समय पर यथा–संशोधित) अधिसूचना सं.एफ 6(179) परि / टैक्स / एच क्यू / 95 / 10, दिनांक 31 मार्च 1997 में, इसके द्वारा दिनांक 24–03–2005 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में क्रम सं. 2 पर की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"2	यात्री यान		
	(1)	तिपहिया यान	35 / – रु. प्रतिदिन
	(2)	चार पहियों वाले यान	
	(क)	ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले	50 / –रु. प्रतिदिन
	(ख)	ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक की किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 की सीट क्षमता वाले	
	(i)	साधारण यान	200 / – रु. प्रतिदिन
	(ii)	साधारण यान से भिन्न	300 / – रु. प्रतिदिन
	(ग)	ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i)	साधारण यान	400 / – रु. प्रतिदिन
	(ii)	साधारण यान से भिन्न	500 / – रु. प्रतिदिन"

2. संलग्न सारणी के पश्चात तथा स्पष्टीकरण के पूर्व (1) से (4) तक के विद्यमान परन्तुक हटाए जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन उप सचिव